FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम अलवर

उनवान तौफिक बनाम सरकार

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट नम्बर 15/02/2023 दा0दि0 03.01.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2023	पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। प्रकरण में थानाधिकारी टपूकड़ा की रिपोर्ट प्राप्त है। शा0मि0 की गयी। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी। थानाधिकारी ने अपने पत्रांक 146 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा रिपोर्ट में निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्तशुदा वाहन पिकअप बोलेरो रजि0 नम्बर एच.आर. 47 ई. 5644 के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अगर उक्त जप्तशुदा वाहन को वाहन मालिक मुख्तयारआम को सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो मुकामी पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन पिकअप बोलेरो रजि0 नम्बर एच.आर. 47 ई. 5644 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/– (पांच लाख रूपये मात्र/–) तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें, तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा पूर्व से नियत दिनांक 31.01.2023 को पेश हों। जिला कलक्टर अलवर 31/01/23 पत्रावली पेश हुई। [illegible] /अधि० उप०/ अनु० पी०[illegible] राजकार्य में व्यस्त [illegible] दिनांक........ 07/02/2023 रीडर	

01/08/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने
प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली
तलब होकर पेश हुई। वकील
प्रार्थी ने निर्धारित मालियत के जमानत
मुचलका पेश किये जो तस्दीक
कर शामिल पत्रावली किये। S.H.O.
मुंडावर को गाड़ी वाहन सुपुर्दगी
पर देने बाबत अधिकृत प्रेषित
हो। पत्रावली फैसला मुताबिक होकर
बाद तकमील नम्बर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)